

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] No. 133] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

## सं. 29/2015 - सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.िन.179 (अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सीमा शुल्क टैरिफ (कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमानता योजना के अंतर्गत उत्पादों की उत्पत्ति का निर्धारण) नियमावली, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

- 1. **लघु शीर्ष और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ (अल्पतम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना के अंतर्गत उत्पादों के उद्भव स्थानों का निर्धारण) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—
  - (क) **"सीमा शुल्क मूल्यांकन पर करार"** से अभिप्राय विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 1क में निहित टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार 1994, के अनुच्छेद VII के क्रियान्वयन पर होने वाले करार से है;

1153 GI/2015 (1)

- (ख) **"लाभान्भोगी देश"** से अभिप्राय ऐसे देशों से है जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत प्रकाशित, की अनुसूची में अधिसूचित किए गए हैं;
- (ग) **"वाहन"** से अभिप्राय वायु, समुद्र और भू-स्थल से होने वाले परिवहन के किसी वाहन से है;
- (घ) **"सीआईएफ मूल्य"** से अभिप्राय निर्यातकर्ता को किसी उत्पाद का वास्तविक रूप से भुगतान किया गया या भुगतान किए जाने वाले मूल्य, जिसमें उत्पाद की लागत, बीमा और भाड़ा जो कि गन्तव्य के लिए नामित पत्तन पर उत्पाद की डिलिवरी के लिए जरूरी होता है, से है और इसका मूल्यांकन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा;
- (ड.) **"सीमा शुल्क प्राधिकारी**" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है जिस पर तत्समय लागू सीमा शुल्क विधि के अधिशासन और उसके लागू करने की जिम्मेदारी होती है;
- (च) "उद्भव स्थान का निर्धारण" से अभिप्राय इस बात के निर्धारण से है कि क्या कोई उत्पाद इन नियमों के अनुसार मूलत: उत्पाद की पात्रता पूरी करता है या नहीं;
- (छ) **"निर्माणोपरांत मूल्य**" से अभिप्राय कारखाने में या अन्य कहीं उत्पाद के विनिर्माण स्थल पर उत्पाद की डिलिवरी किए जाने के उस मूल्य से है जो कि लाभान्भोगी देश में विनिर्माताओं को भुगतान किया गया है या किया जाना है, जिसके उपक्रम में अंतिम विनिर्माण या प्रसंस्करण का कार्य पूरा किया गया है।

बशर्ते कि इस मूल्य में वह आंतरिक कर नहीं शामिल होगा जो कि उत्पाद पर भुगतान किया गया है या किया जाने वाला है और साथ ही वाहन में इसको लादने पर आने वाला खर्च भी शामिल नहीं किया जाएगा;

- (ज) **"एफओबी मूल्य"** से अभिप्राय निर्यातकर्ता को किसी उत्पाद के दिए जाने वाले उस वास्तविक मूल्य से है जो कि निर्यात के निर्धारित पत्तन पर वाहन ऐसे उत्पाद को लादने के लिए किया जाता है, इसमें उत्पाद की लागत तथा ऐसे अन्य खर्च भी शामिल हैं जो कि वाहन में उत्पाद को लादने के लिए जरूरी होते हैं तथा यह मूल्यांकन सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा;
- (झ) "जारीकर्ता प्राधिकारी" से अभिप्राय ऐसे सरकारी प्राधिकारी से है जिस पर लाभान्भोगी देश की विधि के अनुसार उदभव स्थान का प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी है और भारत के मामले में इसका अभिप्राय निर्यात निरीक्षण परिषद से है जिसकी स्थापना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के अंतर्गत की गई है;
- (ञ) **"उत्पाद**" से अभिप्राय किसी वाणिज्यिक, उत्पाद, वस्तु या सामग्री से है;
- (ट) "सामांजस्यपूर्ण प्रणाली" से अभिप्राय सामंजस्यपूर्ण जिंस विवरण और कोडिंग प्रणाली के नामकरण से है जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन दि हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम में परिभाषित किया गया है और इसमें ये सभी विधिक नोट्स आते हैं जो कि संबंधित देश, उनके अपने-अपने टैरिफ कानुनों के अंतर्गत अंगीकार और क्रियान्वित करते हैं;

- (ठ) **"समान उत्पाद"** से अभिप्राय ऐसे उत्पादों से है जो सभी दृष्टि से समान होते हैं जिसमें भौतिक विशेषताएं और गुणवत्ता शामिल होती हैं चाहे प्रतीति में छोटी मोटी भिन्नता ही क्यों न हो और जो इस नियमावली के अंतर्गत उत्पाद के उदभव स्थान के निर्धारण में संगत नहीं होते हैं;
- (इ) **"सामग्री"** से अभिप्राय ऐसे अवयव कच्चे माल, कल-पुर्जे, घटक, उप-संयोजन और उत्पाद आते हैं जो कि ऐसे उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किये जाते हैं और जिनका उत्पादों में वास्तविक रूप से समावेशन होता है;
- (ढ) "उत्पादन में प्रयुक्त गैर-मूल स्थानिक सामग्री" से अभिप्राय किसी ऐसी सामग्री से है जिसके उत्पादन का देश लाभान्भोगी देश से भिन्न है या इसका अभिप्राय ऐसी सामग्री से है जिसके उदभव स्थान का निर्धारण नहीं किया जा सकता है;
- (ण) "उद्भवशील सामग्री" से अभिप्राय ऐसी सामग्री से है जिसमें इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित उद्भवशीलता का गुण है;
- (त) **"पोत परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री और कंटेनर**" से अभिप्राय ऐसे उत्पादों से है जिनका प्रयोग उत्पादों को उनके परिवहन के दौरान सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ये उन कंटेनरों या वस्तुओं से भिन्न हैं जिनका प्रयोग खुदरा बिक्री के लिए किया जाता है;
- (थ) "वरीयतापरक टैरिफ" से अभिप्राय सीमा शुल्क की उस दर से है जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, जिसे सा.का.िन. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत प्रकाशित किया गया था, के अंतर्गत आने वाले उद्भूत उत्पादों पर उस समय लागू होता है जब इनका आयात लाभान्भोगी देश से भारत में किया जाता है;
- (द) "उत्पादक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे उत्पादों का, उत्पादन करता है, खनन करता है, फसलोत्पादन करता है, फसल एकत्र करता है, माित्सिकी का कार्य करते हैं, पुनरुत्पादन या प्रजनन कार्य करता है, जाल फैलाने या शिकार करने, उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पादों का संलयन या विसंलयन करता है;
- (ध) **"उत्पादन**" से अभिप्राय उत्पादों को प्राप्त करने की विधि से है जिसमें उत्पादन, फसलोत्पादन, खनन, निष्कर्षण, फसल एकत्र करना, मत्स्य पालन, उत्पादन, प्रजनन, जाल फैलाने, संग्रहण, संकलन, शिकार और पकड़ने का कार्य विनिर्माण, प्रसंस्करण, संलयन और विसंलयन का कार्य आता है;
- (न) "साधारण" से अभिप्राय उत्पादों की प्रक्रिया या ऐसे कार्य के संदर्भ में प्रयुक्त है जिसके तहत ऐसे क्रियाकलापों के लिए ऐसी किसी विशेष कुशलता, मशीनों, उपकरणों या उपस्करों की जरूरत नहीं पड़ती है जो कि इसके उत्पादन, संस्थापन या कार्य संचालन के लिए विशेष तौर पर कार्य तैयार किए गए हों;
- (प) "प्रयुक्त" से अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिनका उत्पादन में उपयोग या उपभोग किया गया हो।

- **3**. **उद्भवशील उत्पादन.** (1) इन नियमों के उद्देश्य से, किसी उत्पाद को तब उद्भूत माना जाएगा यदि इनकी खेप नियम 10 के अनुसार की जाती है और ये निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, यथा:-
  - (क) जैसा कि नियम 4 में विनिर्दिष्ट है, ऐसे उत्पाद जो निर्यात करने वाले लाभान्भोगी देश से पूर्णतया प्राप्त या वहां उत्पादित हों;
  - (ख) ऐसे उत्पाद जो निर्यात करने वाले लाभान्भोगी देश से न तो पूर्णतया प्राप्त किए गए हैं और न तो पूर्णतया उसके भू-क्षेत्र में उत्पादित किए गए हैं, लेकिन वे नियम 5 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार अर्हक हो।
  - (2) ऐसे उत्पाद जो उप-नियम (1) के अंतर्गत दी गई शर्तों को पूरा करते हैं वरीयतापरक टैरिफ बर्ताव के पात्र होंगे।
- **4. पूर्णतया प्राप्त या उत्पादित उत्पाद.**—नियम 3 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित उत्पादों को किसी निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश से पूर्णतया प्राप्त या वहां उत्पादित माना जाएगा—
  - (क) कच्चे या खनिज उत्पाद जिसमें खनिज तेल, लुब्रीकेन्ट तथा इससे संबंधित पदार्थ है, साथ ही साथ खनिज या धातु अयस्क आते हैं जो कि इसके भू-क्षेत्र से निष्कर्षित किए गए हों;
  - (ख) पादप और पादप उत्पाद जिसमें कृषिगत, सब्जियां और वन उत्पाद आते हैं जो कि यहां उगाए या पैदा किए गए हों;
  - (ग) पशु जो यहां पैदा हुए हों और जिनका यहां पालन किया गया हो;
  - (घ) उपर्युक्त खण्ड (ग) में संदर्भित पशुओं से प्राप्त उत्पाद;
  - (ड.) यहां किए गए शिकार, जाल फैला कर शिकार करने, मछली पकड़ने तथा एक्वा कल्चर से प्राप्त किए गए उत्पाद;
  - (च) समुद्र में मछली मारने से प्राप्त उत्पाद या अन्य समुद्री उत्पादों जो कि इसके भू-क्षेत्रीय जल या अनन्य आर्थिक जोन से उन जलयानों द्वारा प्राप्त किए गए हैं जो लाभान्भोगी देश के यहां पंजीकृत हैं और जिनपर ऐसे देश का ध्वज फहरा रहा है:
  - (छ) ऐसे उत्पाद जो फैक्ट्री की जहाज पर प्रसंस्कृत या निर्मित किए गए हों तथा उपर्युक्त (च) में संदर्भित उत्पादों से विनिर्मित हों;
  - (ज) कतरन या कबाड़ जो कि यहां किए जाने वाले प्रसंस्करण और विनिर्माण कार्य से पैदा हुए हों और जो केवल निपटान या कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए सही हो;
  - (ञ) प्रयुक्त वस्तुएं जो वहां इकट्ठी हो गई हैं तथा जो अपने मूल रूप में काम नहीं कर पा रही हैं और न ही उनका भण्डारण या मरम्मत किया जा सकता है और जिनका केवल निस्तारण या कच्चे माल के भाग के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है;
  - (ज) ऐसे उत्पाद जो समुद्र की तलहटी, उपमृदा या समुद्र तल जो कि इसके भू-क्षेत्र से बाहर है प्राप्त किया गया हो बशर्ते कि निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश को समुद्री विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार ऐसे समुद्र तलहटी, उपमृदा या समुद्र तल से दोहन करने का अधिकार प्राप्त हो;
  - (ट) ऐसे उत्पाद जो अनन्य रूप से खण्ड (क) से (ञ) तक में संदर्भित उत्पादों से तैयार किए गए हों।

- 5. उत्पाद जो पूर्णतया न तो प्राप्त किए गए हैं न उत्पादित किए गए हैं (1) नियम (3) के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए उत्पाद जो न तो पूर्णतया प्राप्त किए गए हैं और न उत्पादित हैं को निर्यात करने वाले लाभान्भोगी देश का उदभवशील उत्पाद माना जाएगा बशर्ते कि ये निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों
  - (क) निर्यात उत्पाद के विर्निर्माण में प्रयुक्त गैर उदभवशील पदार्थों का कुल मूल्य इस प्रकार उत्पादित उत्पाद के एफओबी अथवा निर्माणोपरांत मूल्य के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं हो (अर्थात निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश में मिलाया गया स्थानीय अवयव कम से कम 30 प्रतिशत है;
  - (ख) उत्पाद जो कि टैरिफ वर्गीकरण जिसमें इसके विनिर्माण में प्रयुक्त गैर उदभवशील पदार्थ का प्रयोग हुआ है का वर्गीकरण किया गया है से बदल कर सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के नामांकन के छ: अंक स्तरीय उपशीर्ष में टैरिफ वर्गीकरण में ला दिया गया हो;
  - (ग) विनिर्माण की अंतिम प्रक्रिया निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश में पूरी की गई हो।
- (2) उप-नियम (1) में संदर्भित 'मिलाए गए अवयव के स्थानीय मूल्य की गणना' के लिए निम्न में से कोई फार्मूला लागू होगा :-
- (क) मिलाए गए अवयव के स्थानीय मूल्य की गणना (X %) = (एफ्योबी मूल्य)-(गेर उद्धमक्षीत परायों का मूल्य) × 100% ≥ 30%;
- (ख) मिलाए गए अवयव के स्थानीय मूल्य की गणना (X %) = (निर्माणीयरांड मूल्य)-(गैर उडमवशील पदार्थी का मूल्य) × 100% ≥ 30%.
- (3) किसी उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त गैर उदभवशील पदार्थों का मूल्य :-
  - (क) उन पदार्थों के लिए जिनका मूल उत्पादक देश निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश या भारत से पृथक है, सीआईएफ मूल्य होगा; या
  - (ख) उन पदार्थों के लिए जिनके मूल उत्पादन स्थान के बारे में निर्धारण नहीं किया जा सकता है उस निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के भू-क्षेत्र में भुगतान किया गया वह सर्व प्रथम मूल्य होगा। जिसमें सीमा शुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार निर्माण या प्रसंस्करण किया गया हो।
- स्पष्टीकरण 1: गैर मूलत: उत्पादित पदार्थों की गणना के उद्देश्य से निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के भू-क्षेत्र में या भारत और निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश दोनों के भू-क्षेत्र में भुगतान किए गए पदार्थ पर शुल्क और कर को शामिल नहीं किया जाएगा और यदि इनको ऐसे मूल में पहले शामिल कर लिया गया है तो ऐसे खर्च को घटा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 : इन नियमों में संदर्भित सभी लागत को उस निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश में प्रचलित एवं सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार लेखबद्ध और व्यवस्थित रखा जाएगा। जिसमें इस उत्पाद का उत्पादन हुआ है।

- **6.** गैर-अर्हतापरक कार्य : (1) इन नियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद किसी उत्पाद के बारे में यह नहीं कहा माना जाएगा कि यह नियम 5 में सदर्भित मूलत: उत्पाद की शर्तों को मात्र इस कारण से पूरा करता है कि यह निम्नलिखित कार्यों या प्रक्रियाओं से गुजर कर आया है, यथा:
  - (क) परिवहन और भण्डारण के दौरान बेहतर स्थिति में रखे जाने के लिए उत्पादों का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने वाले कारण जैसे कि सुखाना, फ्रीजिंग, लवण जल में रखना, वेंटिलेशन, फैलाना, प्रसीतन, लवण में, सल्फर डाई-आक्साइड या अन्य जलीय विलयन में रखना, क्षतिग्रस्त हिस्सों को पृथक करना, और इसी तरह के कार्य;

- (ख) साधारण कार्य जैसे कि धूल इत्यादि को हटाना, शिफ्टिंग या स्क्रीनिंग, छटाई करना, वर्गीकरण करना, मैचिंग जिसमें इन वस्तुओं का सेट तैयार करना भी शामिल है, वाशिंग पेंटिंग, कटिंग;
- (ग) खेप की पैकिंग को बदलना उसको अलग-अलग करना या इकट्ठा जोड़ना;
- (घ) साधारण कटिंग, स्लाइसिंग और बोतलों, फ्लास्क, बैग, बाक्स में फिर से बंद करना या रखना, कार्ड या बोर्ड लगाना और इसी प्रकार के अन्य सभी पैकिंग कार्य:
- (इ.) उत्पाद या उनकी पैकेजिंग पर मार्क्स लेबल या अन्य तरह के पहचान वाले चिन्ह लगाना;
- (च) उत्पादों का सामान्य मिश्रण तैयार करना चाहे वे एक प्रकार से हों या भिन्न, जहां कि मिश्रण का एक या एक से अधिक घटक इन नियमों में निर्धारित ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करता है जिससे कि उनको मूलत: उत्पादित उत्पाद माना जाए;
- (छ) उत्पाद के कलपुर्जों को साधारण तौर पर जोड़ना जिससे कि सम्पूर्ण उत्पाद तैयार किया जा सके या उत्पादों को उनके कल पुर्जों में अलग-अलग करना या उनकी पैकिंग करना;
- (ज) पशु संहार;
- (झ) किसी उत्पाद का पानी या अन्य पदार्थों के साथ ऐसा विलयन तैयार करना जिससे कि इस प्रकार नए पदार्थ का गुण में कोई सारवान परिवर्तन नहीं होता;
- (ञ) ऊपर खण्ड (क) से (झ) तक में संदर्भित 2 या अधिक कार्यों का संयोजन।
- (2) निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के भू-क्षेत्र में किसी उत्पाद पर किए जाने वाले सभी कार्यों को इकट्ठा तब माना जाएगा जब यह निर्धारण करने की कि उक्त उत्पाद किसी कार्य या प्रक्रिया के तहत लाया गया है उप-नियम (1) की दृष्टि से अपर्याप्त माना जाएगा।

व्याख्या : इस नियम के उद्देश्य से-

- "साधारण मिश्रण तैयार करने से सामान्यतः तैयार ऐसे क्रिया कलापों से है जिसके लिए ऐसी किसी कुशलता मशीनों उपकरणों या उपस्करों की जरूरत नहीं होती है जो इस प्रकार के कार्य के लिए विशेष तौर से लगाए गए हों लेकिन इसमें ऐसी रसायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है जो कि ऐसी प्रक्रिया, जिसमें जैव रसायन प्रक्रिया भी शामिल है, से अंतरअणुबंधों के टूटने से नई संरचना के अणु पैदा होते हैं। या नए अंतरअणुबंध तैयार होते हों या किसी अणु में परमाणुओं की संरचना में अंतरस्थान में बदलाव आता हो।
- 7. **संचयन.**—जहां कि भारत से उदभूत होने वाली सामग्री निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के भू-क्षेत्र में उत्पादों के उत्पादन में शामिल है वहां ऐसी सामग्री को यह माना जाएगा कि यह निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के भू-क्षेत्र में मूलत: उत्पादित है।
- 8. **खुदरा बिक्री के पैकिंग और कंटेनर.**—इन नियमों के उद्देश्य के लिए किसी पैकिंग पदार्थ या कंटेनर जिसमें उत्पाद को खुदरा बिक्री के लिए पैक करके रखा जाता है, यदि यह उत्पाद के रूप में वर्गीकृत है, को यह निर्धारित करने में विचारित नहीं किया जाएगा कि उक्त उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त सभी गैर-मूलत: उत्पादित वस्तु टैरिफ वर्गीकरण में लागू परिवर्तन के अंतर्गत आता है और यदि उक्त उत्पाद आवश्यक स्थानिक मूल्य वर्धन अवयव के अंतर्गत आता है तो उत्पाद के स्थानीय मूल्यवर्धन अवयव की गणना में। ऐसे पैकेजिंग वस्तुओं और कंटेनरों के मूल को मूलत: उत्पादित या गैर मूलत: उत्पादित पदार्थों के रूप में नहीं माना जाएगा।

- 9. पोत परिवहन के लिए पैकेजिंग सामग्री और कंटेनर्स.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए पोत परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री और कंटेनर जिनमें उत्पाद को पोत परिवहन के लिए बंद करके रखा जाता है, पर निम्न बातों के निर्धारण में विचार नहीं किया जाएगा, कि क्या;
  - (क) उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त गैर-मूल उत्पादित सामग्रियों पर, टैरिफ वर्गीकरण में लागू परिवर्तन किए गए हैं; और
  - (ख) उत्पाद, स्थानीय मूल्यवर्धन अवयव की जरूरत को पूरा करता है।
- 10. प्रत्यक्ष खेप.—िकसी उत्पाद को, जिसके बारे में टैरिफ वरीयता के लिए दावा किया गया है को निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश से भेजी गई सीधे खेप तभी माना जाएगा यदि,
  - (क) इन उत्पादों का परिवहन किसी अन्य देश के भू-क्षेत्र से होते हुए नहीं होता है; या
  - (ख) इन उत्पादों का परिवहन एक या एक से अधिक मध्यवर्ती देशों से होते हुए होता है चाहे ऐसे देशों में इसका मार्गस्थ, पोत परिवहन या अस्थाई भण्डारण हुआ हो या नहीं, जहां कि,-
    - (i) इनका मार्गस्थ प्रवेश भौगोलिक कारणों से या अत्यंतिक परिवहन आवश्यकताओं की दृष्टि से न्यायसंगत हो;
    - (ii) यहां पर उत्पाद का व्यापार या उपभोग न किया गया हो;
    - (iii) ऐसे उत्पाद पर लदाई या उतराई के अलावा अथवा इस कार्य के अलावा जो इसको अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कोई कार्य न किया गया हो;
    - (iv) उत्पाद मार्गस्थ देश के सीमा शुल्क के नियंत्रण में रखा गया हो।
  - (2) टैरिफ वरीयता का दावा किए जाने का उद्देश्य किसी उत्पाद को यह समझना कि इस नियम के अंतर्गत निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश से सीधे भेजा गया है इसके आयात के समय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष निम्नलिखित को प्रस्तुत करना होगा, यथा:-
    - (क) लदाई का बिल जो कि निर्यातकर्ता देश द्वारा जारी किया गया हो;
    - (ख) उदभव स्थान का प्रमाण-पत्र जो कि निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो:
    - (ग) उत्पाद से संबंधित मूल वाणिज्यिक बीजक की एक प्रति; और
    - (घ) इस साक्ष्य के समर्थन वाले दस्तावेज की इस नियम की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया गया है।
- 11. सक्षम प्राधिकारी.—प्रत्येक लाभान्भोगी देश इस नियमावली के अनुबंध-क में विनिर्दिष्ट, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्राधिकारी को, अपने प्राधिकारी के नाम, पदनाम, पता, दूरभाष सं., फैक्स सं. और ई-मेल सूचित करेगा।
- 12. नमूना हस्ताक्षर और मुहर.—प्रत्येक लाभान्भोगी देश इस नियमावली के अनुबंध-क में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्राधिकारी को अपने उन अधिकारियों के नाम और पता, डाक और इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा जो कि मूल उत्पादन से संबंधित

प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कराने के लिए प्राधिकृत होंगे और साथ ही साथ उनके नमूना हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर के नमूना का सेट भी उपलब्ध कराएगा।

- 13. मूलत: उत्पादन के प्रमाण-पत्र को जारी किए जाने के लिए आवेदन.—इस नियमावली के अंतर्गत मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छा वाले निर्यातक या उत्पादक को इस नियमावली के अनुबंध—ख में दिए गए फारमेट के अनुसार निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश के उस प्राधिकारी जारीकर्ता को आवेदन करना होगा।
- **14. आवेदन का सत्यापन.**—जारी करने वाला प्राधिकारी अपनी भरसक क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रत्येक आवेदन के समुचित जांच-पड़ताल करने के बाद ही मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित बातें स्निश्चित करेगा:
  - (क) कि मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र का आवेदन पूरी तरह भरा गया है और इस पर निर्यातकर्ता या उत्पादक या इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर है;
  - (ख) ऐसा यथोचित जांच कार्य करेगा जिससे कि यह निर्धारित हो सके कि क्या कोई उत्पाद इस नियमावली के अनुसार मूलत: उत्पादित उत्पाद की अर्हता पूरी करता है;
  - (ग) कि मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र के आवेदन में दिए गए अन्य विवरण प्रस्तुत किए गए समर्थनकारी दस्तावेजी साक्ष्य से संगत हैं।
- (2) जारीकर्ता प्राधिकारी, यदि जरूरी समझा जाए तो उत्पाद के मूलत: उत्पादन का निर्यात पूर्व सत्यापन किए जाने के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है।
- **15. मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र जारी करना.** (1) वरीयता परक बर्ताव के लिए उत्पाद की पात्रता के समर्थन में इस नियमावली के अनुबंध-ग में दिए गए फारमेट के अनुसार मूलत: उत्पादन का प्रमाण-पत्र, जोकि जारी करने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, प्रस्तुत करना होगा।
- (2) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के ए4 साइज के कागज पर होगा।
- (3) जारी करने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में संगत नियमों को तथा स्थानीय मूल्यवर्धन अवयव की प्रतिशतता को इसी उद्देश्य के लिए मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में निर्धारित किए गए स्थान पर दर्शाना होगा।
- (4) जारी करने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रमाणपत्र पर इसकी अद्वितीय क्रम सं. अंकित होनी चाहिए।
- (5) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए।
- (6) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में एक मूल प्रति और 3 अन्य प्रतियां होगी जिसमें :
  - (क) मूल प्रति को, इसकी तीन प्रतियों में, निर्यातक द्वारा आयातकर्ता को अग्रसारित किया जाएगा;
  - (ख) आयातकर्ता पत्तन या आयात के स्थान पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को केवल मूल प्रति ही प्रस्तुत करेगा;
  - (ग) प्रतिलिपि को लाभान्भोगी देश का जारीकर्ता प्राधिकारी अपने पास रखेगा;
  - (घ) इसकी तीन प्रतियों को आयातकर्ता अपने पास रखेगा; और
  - (ड.) इसकी चार प्रतियों को निर्यातकर्ता अपने पास रखेगा।
- (7) मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में कहीं कुछ मिटाया न गया हो और लिखावट के ऊपर दूसरी लिखावट नहीं होनी चाहिए यदि कोई परिवर्तन करना है तो गलती को पूरी तरह से मिटा करके जरूरत वाली अतिरिक्त बात लिखी जा सकती है और ऐसे परिवर्तन ऐसे किसी प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदित और प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसको

मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होना चाहिए। कोई जगह अप्रयुक्त न रहे तथा अप्रयुक्त स्थान को काट दिया जाए जिससे कि बाद में अतिरिक्त बातें जोड़ी नहीं जा सके।

- (8) जब निर्यात किए जाने वाला उत्पाद के बारे में यह निर्णय करना हो कि यह लाभान्भोगी देश में मूलतः उत्पादित है तो मूलतः उत्पादन का प्रमाणपत्र निर्यात के समय अथवा पोत परिवहन की तारीख से 7 कार्य दिवस के भीतर जारी किया जाएगा और अपवादित मामलों में जब अनैच्छिक गलितयों या लोपों अथवा अन्य किसी वैध कारण से मूलतः उत्पादन का प्रमाणपत्र निर्यात के समय अथवा पोत परिवहन की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर जारी न किया गया हो तो ऐसे प्रमाणपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से लेकिन पोत परिवहन की तारीख से अधिकतम एक माह के भीतर, जारी किया जा सकता है और मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र के बाक्स 4 में "भूतलक्षी प्रभाव से जारी" लिखा गया होना चाहिए और जारीकर्ता प्राधिकारी ऐसे अपवादित परिस्थितियों का लिखित में उल्लेख करेगा जिसके कारण ऐसे प्रमाणपत्र को भूतलक्षी प्रभाव से जारी किया गया है।
- (9) मूलतः उत्पादन के किसी प्रमाणपत्र के चोरी हो जाने, इसके खो जाने या इसके नष्ट हो जाने पर निर्यातकर्ता इसको जारी करने वाले प्राधिकारी के यहां इसकी अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि और 3 कांपियों को जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिनको कि अपने कब्जे में रखे गए निर्यात दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया जाएगा और उन पर मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र के बाक्स 4 में "प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" (मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र के बदले में) लिखा गया होना चाहिए और इस प्रति पर उदगम के मल प्रमाणपत्र की तारीख नहीं होनी चाहिए तथा मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र की ऐसी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि मूलतः उत्पादन के मूल प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख से अधिकतम एक वर्ष के भीतर तथा इस शर्त के साथ जारी किया जाना चाहिए कि निर्यातकर्ता जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी को इसकी 4 प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- **16. वैधता.** (1) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र इसको जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगा :
- (2) किसी एक बीजक में घोषित कई मदों तथा मूलत: उत्पादन के एकल प्रमाणपत्र को भारत के सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि प्रत्येक मद अलग-अलग अपनी अर्हता पूरी करती हो।
- (3) किसी एक प्रमाणपत्र के अंतर्गत घोषित एक या एक से अधिक बहुमदों की अपात्रता का मूलत: उत्पादन के उक्त प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध अन्य बाकी मदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही इनके कारण इन बाकी मदों को वरीयतापरक टैरिफ और कस्टम क्लियरेंस दिए जाने में विलम्ब होगा।
- 17. प्रस्तुतीकरण.— (1) भूतलक्षी प्रभाव से जारी किए गए मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र को छोड़कर, मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र उत्पाद के लिए वरीयतापरक टैरिफ का दावा किए जाने के समय आयात घोषणा को करते समय भारत के सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते कि, भूतलक्षी प्रभाव से जारी किए गए मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र के आधार पर किए जाने वाले वरीयतापरक बर्ताव के दावे को भारत में तत्समय लागू विधि के अध्यधीन रहते हुए और इसके अनुसार ही स्वीकार किया जाएगा।

- (2) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र इसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा;
- (3) मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र आयात वाले पत्तन सीमा शुल्क प्राधिकारियों को नियम 16 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे वरीयतापरक टैरिफ के दावे के उद्देश्य से तभी स्वीकार किया जाएगा जब इस समय सीमा को पालन न किए जाने की असफलता का कारण ऐसा कोई कारण जो वश के बाहर हो या अन्य किसी वैध कारण जो कि निर्यातकर्ता के नियंत्रण के बाहर हो;

बशर्ते कि, इन सभी मामलों में आयात वाले पत्तन का सीमा शुल्क प्राधिकारी मूलत: उत्पादन के ऐसे प्रमाणपत्र को तभी स्वीकार करेगा जब ऐसा उत्पाद का आयात मूलत: उत्पादन के उक्त प्रमाणपत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के पहले किया गया हो।

- (4) सीमा शुल्क प्राधिकारी भारत में तत्समय प्रवर्तित विधि के अनुसार आयातकर्ता से आयातित उत्पाद के मूल स्थान से संबंधित जानकारी और दस्तावेज के लिए अनुरोध कर सकता है।
- **18. मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में विसंगतियां.**—मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र और ऐसे उत्पादों के आयात से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आयात वाले पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के बीच यदि कोई छोटी-मोटी विसंगति पायी जाती है तो इससे मूलत: उत्पादन का प्रमाणपत्र तथ्यता अवैध नहीं होगा।

बशर्ते कि, मूलत: उत्पादन का ऐसा प्रमाणपत्र आयात किए जाने वाले उत्पादों से सामंजस्य रखता हो।

- 19. विशेष मामले.—यदि निर्यातित सभी माल या इसके कुछ भाग का गन्तव्य स्थान, इसके भारत में पहुंचने के पहले या उसके बाद बदल कर भारत में विनिर्दिष्ट कोई दूसरे पत्तन के रूप में बदल दिया जाता है तो;
  - (क) यदि उत्पाद आयात वाले विनिर्दिष्ट पत्तन के सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है तो आयातकर्ता की ओर से लिखित रूप में अनुरोध किए जाने पर उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में इन सभी या कुछ उत्पादों के बारे में इस निमित्त पृष्ठांकित कर देगा और उसे आयातकर्ता को लौटा देगा; और
  - (ख) यदि मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट गन्तव्य स्थान को भारत में उत्पादों के परिवहन के दौरान बदल दिया जाता है तो मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट गन्तव्य स्थान में संशोधन करने के लिए निर्यातकर्ता निर्यातक लाभान्भोगी देश के संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है और इसके साथ जारी किया गया मूलत: उत्पादन का प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा।
- 20. सत्यापन.—यदि मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र की सत्यता के बारे में अथवा इस मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र में संदर्भित उत्पाद के सत्य मूल स्थान के बारे में दी गई सूचना की सच्चाई के बारे में कोई तर्कसंगत शंका पैदा होती है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड लाभान्भोगी देश के जारीकर्ता प्राधिकारी देश से निम्न प्रक्रिया के अनुसार पूर्व सिक्रय प्रभाव से जांच करने के लिए अन्रोध कर सकता है, यथा:
  - (क) ऐसी सक्रियप्रभावी जांच के लिए अनुरोध के साथ मूल उत्पादन के प्रमाणपत्र, बीजक या बिल आफ लैंडिंग या रेलवे बिल, जैसी भी स्थित हो संलग्न करना होगा;
  - (ख) प्रश्नावली जिसमें कि वे प्रश्न शमिल हैं जिनके उत्तर की जरूरत हो लाभान्भोगी देश के जारीकर्ता प्राधिकारी के पास अग्रसारित करना होगा:
  - (ग) सत्यापन के कारण क्लियरेंस के लिए विचाराधीन पड़े उत्पाद के उत्पादों को आयातकर्ता को आवश्यक प्रशासनिक उपाय, जोकि जरूरी समझे जाते हों, जिसमें आयातकर्ता से प्रतिभूति लिया जाना भी शामिल है, अपनाकर जारी किया जा सकता है;
  - (घ) जारीकर्ता प्राधिकारी पूर्वलक्षी प्रभाव से जांच करने के लिए अनुरोध प्राप्त करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को ऐसे सत्यापन के परिणाम से निम्नलिखित अवधि के भीतर यथाशीघ्र अवगत कराएगा;—

- (i) ऐसे अनुरोध को प्राप्त किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर, यदि ऐसा अनुरोध लाभान्भोगी देश के जारीकर्ता प्राधिकारी के मुहर और हस्ताक्षर के प्रमाणिकता से संबंधित हो तो;
- (ii) ऐसे अनुरोध को प्राप्त किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, यदि ऐसे अनुरोध में निर्यातकर्ता या उत्पादक ने आवेदन की प्रति के लिए अनुरोध किया गया है तो;
- (iii) ऐसे अनुरोध को प्राप्त किए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर, यदि ऐसा अनुरोध उत्पाद के मूल स्थान से संबंधित सूचना की सच्चाई में संदेह के आधार पर किया गया है तो।
- (इ.) यदि भारत का सीमा शुल्क प्राधिकारी खण्ड (क) और (ख) के अनुसरण में किए गए भूतलक्षी प्रभाव से जांच के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो यह लाभान्भोगी देश के निर्यातकर्ता या उत्पादक के परिसर का दौरा करके सत्यापन के माध्यम से लाभान्भोगी देश में सत्यापन कर सकता है;
- (च) खण्ड (ड.) में संदर्भित सत्यापन दौरा किए जाने से पूर्व भारत के सीमा शुल्क प्राधिकारी, लाभान्भोगी देश जहां सत्यापन दौरा किया जाना है के जारीकर्ता प्राधिकारी को अपने सत्यापन दौरे किए जाने के इरादे के संबंध में लिखित अनुरोध करेगा;
- (छ) खण्ड (च) में उल्लिखित लिखित दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल होगा, अर्थात;
  - (i) उत्पदक अर्थात निर्यातक का नाम जिसके परिसर का दौरा किया जाना है;
  - (ii) सत्यापन दौरे की प्रस्तावित तारीखें;
  - (iii) सत्यापन दौरा करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम;
- (ज) खण्ड (च) में संदर्भित जारीकर्ता प्राधिकारी, खण्ड (च) में उल्लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दौरे के संबंध में लिखित सहमति भिजवाएगा;
- (झ) सत्यापन दौरा, खंड (ज) में संदर्भित लिखित सहमित की प्राप्त की तारीख के 60 दिन के भीतर अथवा ऐसी लम्बी अवधि जिस पर पारस्परिक सहमित व्यक्त की गई हो, के भीतर किया जाएगा:
- (ण) सत्यापन दौरा किए जाने के पश्चात आयातक और संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी को इस आशय का लिखित निर्धारण मुहैया करवाया जाएगा कि क्या विषयगत उत्पाद मूल उत्पाद के रूप में अर्हक है अथवा नहीं।
- 21. टैरिफ के वरीयता वाले बर्ताव से इनकार.—(1) इन नियमों में उपबंधित किसी बात को छोड़ कर वरीयता वाले बर्ताव के दावे से इनकार किया जा सकता है जब—
  - (क) उत्पाद इन नियमों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करता;
  - (ख) उत्पाद का निर्यातक, उत्पादक अथवा आयातक इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं की अनुपालना पूरी करने में असमर्थ रहता हो;
  - (ग) उत्पाद का निर्यातक, उत्पादक अथवा आयातक संगत रिकॉर्डों अथवा प्रलेखन तक पहुंच से इनकार करता है;
  - (घ) लाभान्भोगी देश का जारीकर्ता प्राधिकारी सत्यापन के लिखित अनुरोध के अनुक्रम में सूचना प्रदान करने में असमर्थ रहता है;

- (ड.) जारीकर्ता प्राधिकारी अथवा लाभान्भोगी देश के निर्यातक अथवा उत्पादक से सत्यापन दौरे के अनुरोध के प्रति, सहमति प्राप्त नहीं होती है;
- (च) जारीकर्ता प्राधिकारी अथवा लाभान्भोगी देश के निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा दी गई जानकारी यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह उत्पाद लाभान्भोगी देश के मूल उत्पाद के लिए अर्हक है।
- (2) जिन मामलों में मूल उत्पाद के प्रमाणपत्र को, भारत के सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो मूल उत्पाद के मूल प्रमाणपत्र को युक्तियुक्त अविध जो कि इस प्रकार अस्वीकार किए जाने की तारीख दो महीने से अधिक नहीं होगी, के भीतर जारीकर्ता प्राधिकारी को वापस कर दिया जाएगा;

बशर्ते यह कि टैरिफ के वरीयता वाले बर्ताव से इनकार किए जाने के आधार से, आयातक और जारीकर्ता प्राधिकारी को अवगत करवाया जाएगा।

- 22. रिकॉर्ड के रखरखाव की अपेक्षाएं. मूल उत्पाद के प्रमाणपत्र के आवेदन और ऐसे आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की तारीख से कम से कम 5 वर्ष तक अपने पास रखे जाएंगे।
- 23. धोखे धड़ी वाले कृत्यों के विरुद्ध कार्रवाई.—जब कभी यह आशंका होती है कि मूल देश के प्रमाणपत्र के साथ कुछ धोखा धड़ी वाले कृत्य किए गए हैं तो संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में उस समय भारत में लागू कानून के अनुसार भारतीय प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।
- **24. वरीयता वाले बर्ताव का स्थगन किया जाना.**—(1) भारत सरकार सभी उत्पादों अथवा नियम (4) और नियम (5) के अनुसार अर्हक लाभान्भोगी देश से उत्पादित कितपय उत्पादों के संबंध में टैरिफ वरीयता का स्थगन कर सकती है—
  - (क) जहां यह पर्याप्त साक्ष्य हो कि धोखा धड़ी, अनियमितताओं अथवा इन नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों के साथ अनुपालना करने में प्रणालीबद्ध असफलता हुई है, इसे वापस लिया जाना न्यायौचित है; अथवा
  - (ख) जहां कहीं इन नियमों के अंर्तगत किया गया आयात लाभान्भोगी देश के उत्पादन के सामान्य स्तर और निर्यात क्षमता से पर्याप्त अधिक हो।
- (2) निर्यात लाभान्भोगी देश को वरीयता वाले टैरिफ पर सुविधाओं के स्थगन किए जाने के 15 दिन के भीतर ऐसे लाभ समाप्त कर दिए जाने के कारणों से से अवगत करवाया जाएगा।
- (3) इस प्रकार के स्थगन की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात लाभान्भोगी देश परामर्श के लिए अनुरोध करेगा तथा इस तरह का परामर्श ई-मेल सम्प्रेषण, वीडियो कान्फ्रेंस अथवा बैठकों के माध्यम से होगा तथा पारस्परिक रूप से सहमित होने पर इसमें संयुक्त अन्वेषण किया जाना भी शामिल हो सकता है।
- (4) परामर्श के लिए प्राप्त अनुरोध के अनुक्रम में, मुद्दे को निम्नलिखित रूप में यथाशीघ्र हल किया जाएगा-
  - (क) भूतलक्षी प्रभाव से उत्पाद के वरीयता वाली प्रसुविधाओं की बहाली; अथवा
  - (ख) एक या दोनों पक्षकारों द्वारा किसी पारस्परिक सहमित के उपायों के कार्यान्वयन के अध्यधीन भविष्यलक्षी प्रभाव से उत्पाद के संबंध में वरीयता वाली प्रसुविधाओं की बहाली; अथवा
  - (ग) उत्पाद के संबंध में वरीयता वाली प्रसुविधाओं से इनकार।

[फा. सं. 21000/11/2013-निदेशक (आईसीडी)] सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक

## अनुबंध - क

# [नियम 11 और 12 देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में प्राधिकारी, निम्नलिखित होगा :

निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं.-49, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001, भारत

दूरभाष: +91 11 2309 3380 फैक्स +91 11 2309 3760

ई-मेल: diricd-cbec@nic.in

# अनुबंध - ख [नियम 13 देखें]

- 1. निर्यातक/उत्पादनकर्ता का नाम और पता :
- 2. पंजीकरण संख्या :
- 3. मूल उत्पादन के देश का नाम: लागत और मूल्य के सभी आंकड़े यूएस डॉलर (\$) में दिखाये जाने हैं

4. निर्यात उत्पादवार सामान्य जानकारी:

क्रम सं.	उत्पाद का विवरण	मॉडल/ ब्राण्ड	एचएस कोड	एफओबी/निर्माणोपरान्त
				मूल्य

5. सामग्री की लागत की उत्पादवार जानकारी (उपर्युक्त पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद के लिए दी जानी है)

क	ख	ग	घ	ड.	च	छ	ज
क्र. सं.	घटक, सामग्री, आगत पुर्जों अथवा उत्पाद का विवरण	मात्रा और इकाई	इकाई कीमत	कुल की मत	एचएस कोड (6 अंकीय स्तर पर)	आपूर्तिकर्ता का नाम और पता	घटक, सामग्री, आगत पुर्जों अथवा उत्पाद का मूल देश

कॉलम ज में सीमा टैरिफ (अल्पतम विकसित देशों के संबंध में कर मुक्त टैरिफ वरीयता के अंतर्गत उत्पादों के शुल्क उदभव स्थान का निर्धारण) नियमावली, 2015 की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित में से एक के रूप में शुल्क उदभव स्थान उत्पादन को दर्शाने के लिए प्रविष्टि की जाएगी :-

- (i) भारत;
- (ii) जारीकर्ता प्राधिकारी का लाभान्भोगी देश;
- (iii) उत्पादन में प्रयोग की गई सामग्री जो मूल उत्पादन के देश में नहीं बनी
- 6. गणना
  - (i) एफओबी/निर्माणोपरान्त मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पादन में प्रयोग की गई उस सामग्री की कीमत जो मूल उत्पादन के देश में नहीं बने:\_\_\_\_
  - (ii) एफओबी/निर्माणोपरान्त मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल उत्पादन के देश में बनी सामग्री की कीमत:\_\_\_\_

#### घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सच्ची और सही है।

मैं, जैसे और जब कभी अपेक्षित होगा हमारे कारखाने/उत्पादों के निरीक्षण की अनुमति दूंगा तथा लागत संबंधी रिकॉर्डों के अद्यतन रिकॉर्ड रखने का वचन देता हूं।

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

## कार्यालय प्रयोग के लिए

उपर्युक्त दिए गए विवरण की, आवेदक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार जांच पड़ताल कर ली गई है और उसे सत्यापित कर लिया गया है तथा यह सही पाया गया है। इस साक्ष्य के आधार पर आवेदक यह दावा करने का पात्र है कि उत्पाद \_\_\_\_\_\_\_ में उत्पादित हुए हैं, जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ (अल्पतम विकसित देशों के संबंध में कर मुक्त टैरिफ वरीयता योजना के अंतर्गत उत्पादों के उदभव स्थान का निर्धारण) नियमावली, 2015 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त क्रम सं. 3 में दर्शाया गया है।

स्थान और तारीख:

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और कार्यालय की मुहर

# अनुबंध - ग [नियम 15(1) देखें]

# मूल उत्पादन के देश का प्रमाण पत्र

1. उत्पाद का ज	हां से प्रेषण वि	केया गया था	संदर्भ सं.				
(निर्यातक का क	गरोबार का ना	म, पता और देश)	अल्पतम विकसित देशों के लिए भारत की कर मुक्त टैरिफ वरीयता योजना				
			(सम्मिलित घोषणाः	और प्रमाणपत्र)			
				- (देश) में जारी	किया गया		
			(कृपया नीचे टिप्पणी	-			
2. जिसे उत्पाद प्रेषित किया गया (प्रेषिती का नाम, पता और देश)			4. कार्यालय प्रयोग वे	के लिए			
3. परिवहन के स	ाधन और मार्ग (	(जितना पता हो)					
5. एचएस कोड	6. मार्क्स और पैकेजों की संख्या	7. पैकेजों की संख्या और किस्म : उत्पादों का विवरण	8. मूल उत्पादन के देश के मानदण्ड (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)	9. सकल भार अथवा अन्य मात्रा	10. इनवाइस की संख्या और तारीख		
11. निर्यातक की	घोषणा		12. प्रमाणपत्र :				
उपर्युक्त ब्यौरे और विवरण सही हैं; सभी			किए गए नियंत्रण के आधार पर एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है।				
तथा वे अल्पतम विकसित देशों के संबंध में भारत की कर मुक्त टैरिफ वरीयता योजना में इन उत्पादों के लिए विनिर्दिष्ट मूल उत्पादन के देश की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।			तारीख				
			प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और मुहर				
(आयातक देश)				•	ű v		
स्थान और तारीख, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम और हस्ताक्षर							

### मूल उत्पादन के देश के प्रमाणपत्र के संबंध में ओवरलीफ नोट

#### बाक्स 8 में की जाने वाली प्रविष्टियां

- 1. वरीयता वाले उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ (अल्पतम विकसित देशों के संबंध में कर मुक्त टैरिफ वरीयता योजना के अंतर्गत उत्पादों के मूल उत्पादन के देश का निर्धारण) नियमावली, 2015 के नियम 4 के अनुसार निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश ने पूरी तरह से उत्पादित अथवा वहां से प्राप्त किए गए होने चाहिए अथवा जहां कहीं वे निर्यातकर्ता लाभान्भोगी देश में पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा वहां से प्राप्त नहीं किए गए हों, उस मामले में वे उक्त नियमों के नियम 5 के अंतर्गत पात्र होने चाहिए।
- 2. पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा प्राप्त उत्पादों के संबंध में- बॉक्स 8 में वर्ण 'क' की प्रविष्टि करें।
- 3. पूर्ण रूप से उत्पादित अथवा प्राप्त नहीं किए गए उत्पादों के संबंध में -
  - (i) ऐसे उत्पाद जो उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार मूल देश के मानदण्ड को पूरा करते हैं, के संबंध में बाक्स 8 में वर्ण 'ख' की प्रविष्टि करें। वर्ण 'ख' की प्रविष्टि के पश्चात, उक्त नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अंतर्गत यथा आकलित स्थानीय कीमत के जोड़े गए घटक का प्रतिशत लिखा जाएगा। [उदाहरण-ख (\_\_\_\_) प्रतिशत];
  - (ii) ऐसे उत्पाद जो उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के साथ पठित नियम 5 के अनुसार मूल देश के मानदण्ड पूरे करते हैं, इस संबंध में बाक्स 8 में वर्ण 'ग' की प्रविष्टि करें। वर्ण 'ग' की प्रविष्टि के पश्चात, उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के साथ पठित नियम 5 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) के अंतर्गत यथा आकलित स्थानीय कीमत के जोड़े गए घटक का प्रतिशत लिखा जाएगा [उदाहरण 'ग'

(स्थानीय: \_\_\_ प्रतिशत; भारतीय: \_\_\_ प्रतिशत; कुल: \_\_\_ प्रतिशत)]

[फा. सं. 21000/11/2013-निदेशक (आईसीडी)] सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2015

#### No. 29/2015-Customs (N.T.)

- **G.S.R.** 179(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in supersession of the Customs Tariff [Determination of Origin of Products under the Duty Free Tariff Preference Scheme for Least Developed Countries] Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Products under the Duty Free Tariff Preference Scheme for Least Developed Countries) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Agreement on Customs Valuation" means the agreement on implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, contained in Annex 1A to the World Trade Organisation Agreement.
  - (b) **"beneficiary country"** means the country notified in the Schedule to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 96/2008 Customs, dated the 13th August, 2008, published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 13th August, 2008 as amended from time to time;
  - (c) "carrier" means any vehicle for transportation by air, sea or land;
  - (d) "CIF value" means the price actually paid or payable to the exporter for a product including the cost of the product, insurance, and freight necessary to deliver the product to the named port of destination and the valuation thereof shall be in accordance with the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
  - (e) "customs authority" means, the authority that is responsible for the administration and application of customs law for the time being in force;
  - (f) "determination of origin" means a determination as to whether a product qualifies as an originating product in accordance with these rules;
  - (g) "ex-works value" means the price of the product for delivery at the factory or any other place of manufacture of the product, paid or payable to the manufacturer in the beneficiary country, in whose undertaking the last working or processing is carried out:

Provided that the price shall not include the internal taxes which are paid or payable on the products and the cost involved in loading onto the carrier;

(h) **"FOB value"** means the price actually paid or payable to the exporter for a product when the product is loaded onto the carrier at the named port of exportation, including the cost

- of the product and all costs necessary to bring the product onto the carrier and the valuation shall be made in accordance with the Agreement on Customs Valuation;
- (i) "issuing authority" means a Government Authority that, according to the law of the beneficiary country, is responsible for the issuing of a certificate of origin and in the case of India, the Export Inspection Council established under section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (j) "products" means any merchandise, product, article or material;
- (k) "Harmonised System" means the nomenclature of the Harmonised Commodity Description and Coding System defined in the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System including all legal notes thereto, as adopted and implemented by the respective countries under their respective tariff laws:
- (l) **"identical products"** means products that are same in all respects, including physical characteristics and quality, irrespective of minor differences in appearance that are not relevant to the determination of origin of the products under these rules;
- (m) "materials" means ingredients, raw materials, parts, components, sub-assemblies and products that are used in the production of products and are physically incorporated into the products;
- (n) "non-originating materials used in production" means any materials, the country of origin of which is other than the beneficiary country and any materials, the origin of which cannot be determined;
- (o) "originating materials" means materials that qualify as originating under these rules;
- (p) "packing materials and containers for shipment" means products used to protect products during their transportation, other than those containers or materials that are used for their retail sale;
- (q) "preferential tariff" means the rate of customs duties applicable to an originating product under the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 96/2008 Customs, dated 13th August, 2008, published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 13th August, 2008, as amended from time to time, when imported into India from a beneficiary country;
- (r) **"producer"** means a person who grows, mines, raises, harvests, fishes, reproduces and breeds, traps, hunts, manufactures, processes, assembles or disassembles products;
- (s) **"production"** means the method of obtaining products including growing, raising, mining, extracting, harvesting, fishing, producing, reproducing and breeding, trapping, gathering, collecting, hunting and capturing, manufacturing, processing, assembling or disassembling;
- (t) "**simple**" in reference to the processes or operations on products, generally describes activities which need neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed for carrying out the activity;
- (u) "used" means utilised or consumed in the production of products.

- **3. Originating products.**—(1) For the purposes of these rules, products shall be deemed to have originated, if they are consigned according to rule 10 and conform to the following conditions, namely:-
  - (a) products wholly obtained or produced in the territory of the exporting beneficiary country as specified in rule 4; or
  - (b) products not wholly obtained or produced in the territory of the exporting beneficiary country, provided they are eligible as specified in rule 5.
- (2) The products which conform to the conditions under sub-rule (1) shall be eligible for preferential tariff treatment.
- **4. Products wholly obtained or produced.**—For the purposes of clause (a) of sub-rule (1) of rule 3, the following products shall be considered as being wholly obtained or produced in the territory of an exporting beneficiary country, namely:—
  - (a) raw or mineral products including mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores extracted from its territory;
  - (b) plant and plant products, including agricultural, vegetable and forestry products grown or harvested there;
  - (c) live animals born and raised there;
  - (d) products obtained from animals referred to in clause (c);
  - (e) products obtained by hunting, trapping, fishing or aquaculture conducted there;
  - (f) products of sea fishing and other marine products taken from outside its territorial waters and exclusive economic zone by vessels registered and flying the flag of the exporting beneficiary country;
  - (g) products processed or made on board its factory ships exclusively from products referred to in clause (f);
  - (h) scrap and waste derived from manufacturing or processing operations conducted there and fit only for disposal or for the recovery of raw materials;
  - (i) used articles collected there which can no longer perform their original function, nor are capable of being restored or repaired and which are fit only for disposal or for the recovery of parts or raw materials;
  - (j) products taken from the seabed, subsoil or ocean floor thereof beyond its territory, provided the exporting beneficiary country has the rights to exploit that sea bed, subsoil or ocean floor in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea;
  - (k) products produced there exclusively from the products referred to in clauses (a) to (j).
- **5. Products not wholly obtained or produced.**—(1) For the purposes of clause (b) of sub-rule (1) of rule 3, products not wholly obtained or produced shall be considered as originating in the exporting beneficiary country if they fulfill the following conditions:—
  - (a) the total value of the non-originating materials used in the manufacture of the export product does not exceed seventy per cent. of the FOB value or ex-works value of the product so produced or obtained (that is, the local value added content in the exporting beneficiary country is at least thirty per cent.);

- (b) the product has undergone a change in tariff classification in sub-heading at the 6 digit level of the Harmonized System nomenclature from the tariff classification in which the non-originating material used in its manufacture are classified; and
- (c) the final process of manufacture is performed within the territory of the exporting beneficiary country.
- (2) For the purpose of calculating the "local value added content" referred to in sub-rule (1), one or other of the following formulae shall be applied: —
- (a) Local value added content (X %) =  $\frac{\text{(FOB value)-(value of non-originating materials)}}{\text{(FOB value)}} \times 100\% \ge 30\%;$
- (b) Local value added content (X %) =  $\frac{(ex-works\ value) (value\ of non-originating\ materials)}{(ex-works\ value)} \times 100\% \ge 30\%$
- (3) The value of the non-originating materials used in the production of a product shall be,-
  - (a) for materials, the country of origin of which is other than the exporting beneficiary country or India, the CIF value; or
  - (b) for materials, the origin of which cannot be determined, the earliest price ascertained to have been paid in the territory of the exporting beneficiary country where the working or processing takes place, in accordance with the Agreement on Customs Valuation.

Explanation 1.- For the purpose of calculation of value of the non-originating materials, duties and taxes on the material paid in the territory of the exporting beneficiary country or both of India and the exporting beneficiary country shall not be included, and if already included in such value, such expenses shall be deducted.

Explanation 2.- All costs referred to in these rules shall be recorded and maintained in accordance with the generally accepted accounting principles applicable in the territory of the exporting beneficiary country in which the product is produced.

- **6. Non-qualifying operations.**—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, a product shall not be considered to have satisfied the requirements for an originating product referred to in rule 5 merely by reason of going through the following operations or processes, namely:—
  - (a) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage such as drying, freezing, keeping in brine, ventilation, spreading out, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations;
  - (b) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching including the making-up of sets of articles, washing, painting and cutting;
  - (c) changes of packing and breaking up and assembly of consignments;
  - (d) simple cutting, slicing and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, and all other simple packing operations;
  - (e) affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or on their packaging;

- (f) simple mixing of products whether or not of different kinds, where one or more components of the mixture do not meet the conditions laid down in these rules to enable them to be considered as originating products;
- (g) simple assembly of parts of products to constitute a complete product or disassembly of products into parts or packing thereof;
- (h) slaughter of animals;
- (i) mere dilution or mixing of products with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products so obtained;
- (j) a combination of two or more operations referred to in clauses (a) to (i).
- (2) All operations carried out in the territory of the exporting beneficiary country on a given product shall be considered together when determining whether the working or processing undergone by that product is to be regarded as insufficient within the meaning of sub-rule (1).

Explanation.- For the purposes of this rule, "simple mixing" generally describes activities which need neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed for carrying out the activity but does not include chemical reaction which is a process, including a biochemical process, resulting in a molecule with a new structure by breaking intra-molecular bonds and by forming new intra-molecular bonds, or by altering the spatial arrangement of atoms in a molecule.

- **7. Accumulation.**—Where the originating material from India is incorporated in the production of a product in the territory of the exporting beneficiary country, such material shall be considered to originate in the territory of the exporting beneficiary country.
- **8.** Packing materials and containers for retail sale.—For the purposes of these rules, any packaging materials and containers in which a product is packaged for retail sale, if classified with the product, shall not be taken into account in determining whether all the non-originating materials used in the production of the product undergo the applicable change in tariff classification, and, if the product is subject to a local value added content requirement, the value of such packaging materials and containers shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the local value added content of the product.
- **9. Packing materials and containers for shipment.**—For the purposes of these rules, any packing materials and containers in which a product is packed for shipment shall not be taken into account in determining whether,—
  - (a) the non-originating materials used in the production of the product have undergone an applicable change in tariff classification; and
  - (b) the product satisfies a local value added content requirement.
- 10. **Direct Consignment.—(1)** Products, in respect of which tariff preference is claimed, shall be considered as directly consigned from the exporting beneficiary country if,-
  - (a) these products are transported without passing through the territory of any other country; or
  - (b) the transport of these products involves transit through one or more intermediate countries with or without trans-shipment or temporary storage in such countries, where,-
    - (i) their transit entry is justified for geographical reasons or by considerations related exclusively to transport requirements;

- (ii) the products have not entered into trade or consumption there;
- (iii) the products have not undergone any operation other than unloading and reloading or any operation required to keep them in good condition; and
- (iv) the products have remained under the customs control in the country of transit.
- (2) For the purpose of claiming tariff preference for the imported product considering such product as directly consigned from the exporting beneficiary country in terms of this rule, the following shall be produced before the customs authority of India at the time of importation, namely:-
  - (a) a through bill of lading issued in the exporting country;
  - (b) a certificate of origin issued by the issuing authority of the exporting beneficiary country;
  - (c) a copy of the original commercial invoice in respect of the product; and
  - (d) supporting documents in evidence that other requirements of this rule have been complied with.
- 11. Competent authorities.—Each beneficiary country shall notify the name, designation, address, telephone number, fax number, and email of its issuing authority to the authority in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, specified in Annexure A to these rules.
- **12. Specimen signatures and seals.**—Each beneficiary country shall provide through post and electronic mail, names and addresses of the officials authorised to sign the certificate of origin and also provide the original sets of their specimen signatures and specimen of official seals to the authority in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India specified in **Annexure A** to these rules.
- 13. Application for issue of certificate of origin.—Any exporter or producer seeking grant of a certificate of origin under these rules shall apply to the issuing authority of the exporting beneficiary country as per format in **Annexure B** to these rules.
- **14. Verification of application.**—(1) The issuing authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination upon each application for a certificate of origin to ensure -
  - (a) that the application for the certificate of origin is duly completed and signed by the exporter or producer or its authorised signatory;
  - (b) to carry out such reasonable checks as to determine whether a product qualifies as an originating product in accordance with these rules;
  - (c) that the other statements in the application for certificate of origin correspond to the supporting documentary evidence submitted.
- (2) The issuing authority may, if it deems necessary, take up the application for pre-export verification of the origin of the product.
- **15. Issuance of certificate of origin.**—(1) The products eligible for preferential treatment shall be supported by a certificate of origin as per the format in **Annexure C** to the rules, issued by the issuing authority.
- (2) The certificate of origin shall be in International Organisation for Standardisation (ISO) A4 size paper.

- (3) The certificate of origin issued by the issuing authority shall indicate the relevant rules and applicable percentage of local value added content in space provided for that purpose in the certificate of origin.
- (4) Each certificate of origin issued by the issuing authority shall bear a unique serial number.
- (5) The certificate of origin shall be made in English.
- (6) The certificate of origin shall comprise one original and three copies,-
  - (a) the original copy shall be forwarded, together with the triplicate, by the exporter to the importer;
  - (b) only the original copy will be submitted by the importer to the customs authority at the port or place of importation;
  - (c) the duplicate shall be retained by the issuing authority in the beneficiary country;
  - (d) the triplicate shall be retained by the importer; and
  - (e) the quadruplicate shall be retained by the exporter.
- (7) No erasures and superimpositions shall be allowed on the certificate of origin, the alterations if any, shall be made by striking out the errors and making any addition required and such alterations shall be approved and certified by an official authorised to sign the certificate of origin, and unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition.
- (8) The certificate of origin shall be issued at the time of exportation, or within seven working days from the date of shipment whenever the product to be exported can be considered originating in the beneficiary country but under exceptional cases, where a certificate of origin has not been issued at the time of exportation or within seven working days from the date of shipment due to involuntary errors or omissions, or any other valid reasons, the certificate of origin may be issued retrospectively but not later than one month from the date of shipment, bearing the words "ISSUED RETROSPECTIVELY" in box 4 of the certificate of origin, and the issuing authority shall also record reasons in writing stating the exceptional circumstances due to which the certificate has been issued retrospectively.
- (9) In the event of theft, loss or destruction of a certificate of origin, the exporter may apply in writing to the issuing authority which issued it for a certified true copy of the original and the triplicate, to be made on the basis of the export documents in his possession bearing the endorsement of the words "CERTIFIED TRUE COPY", (in lieu of the original certificate) in box 4 of the certificate of origin and this copy shall bear the date of the original certificate of origin, and the certified true copy of a certificate of origin shall be issued not later than one year from the date of issuance of the original certificate of origin and on the condition that the exporter provides to the relevant issuing authority the quadruplicate.
- **16. Validity.**—(1) The certificate of origin shall be valid for one year from the date of its issuance.
- (2) Multiple items declared on a single invoice and single certificate of origin shall be allowed by the customs authority in India, provided each item qualifies separately on its own.
- (3) The ineligibility of any one or more of the multiple items declared under a certificate of origin shall not affect or delay the granting of preferential tariff and customs clearance of the remaining items listed in that certificate of origin.
- **17. Presentation.**—(1) Except for the certificate of origin issued retrospectively, the original certificate of origin shall be submitted to the customs authority in India at the time of lodging the import declaration for the product for which preferential tariff is claimed:

Provided that a claim for preferential treatment made on the basis of a certificate of origin issued retrospectively shall be granted subject to and in accordance with the law for the time being in force in India.

- (2) The certificate of origin shall be submitted within its validity period.
- (3) The certificate of origin submitted to the customs authority at port of importation after the expiration of the period specified in sub-rule (1) of rule 16, shall be accepted for the purpose of claiming preferential tariff when the failure to observe the time limit results from *force majeure* or other valid reasons beyond the control of the exporter:

Provided that in all cases, the customs authority at the port of importation shall accept such certificate of origin if the products have been imported before the expiry of the validity period of the said certificate of origin.

- (4) The customs authority may request an importer for information or documents relating to the origin of imported product in accordance with the law for the time being in force in India.
- **18. Discrepancies in certificate of origin.**—Minor discrepancies between the certificate of origin and the documents submitted to the customs authority at the port of importation for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not *ipso facto* invalidate the certificate of origin:

Provided that, such certificate of origin corresponds to the products under importation.

- **19. Special cases.**—When destination of all or part of the products exported to a specified port in India is changed, before or after their arrival in India, -
  - (a) if the products have already been submitted to the customs authority in India in the specified importing port, on written request from the importer, the customs authority shall endorse to this effect for all or part of the products in the original certificate of origin and return it to the importer; and
  - (b) if the change of destination specified in the certificate of origin occurs during transportation of the products to India, the exporter shall apply in writing to the concerned issuing authority of the exporting beneficiary country accompanied with the issued certificate of origin, for amendment of destination in the certificate of origin.
- **20. Verification.**—Whenever there is a reasonable doubt as to the authenticity of the certificate of origin or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the product covered under the certificate of origin or of certain part thereof, or at random, the Central Board of Excise and Customs may request the issuing authority of the beneficiary country for a retroactive check in accordance with the following procedure, namely:—
  - (a) the request for such retroactive check shall be accompanied with the certificate of origin, invoice and bill of lading or airway bill, as the case may be;
  - (b) a questionnaire containing the questions to which a response is required may be forwarded to the issuing authority of the beneficiary country;
  - (c) the product, pending clearance due to the verification, may be released to the importer by taking any administrative measures deemed necessary, including obtaining a security from the importer; and

- (d) the issuing authority receiving a request for a retroactive check shall promptly transmit the results of the verification to the Central Board of Excise and Customs within,-
  - (i) fifteen days of the date of receipt of the request, if the request pertains to the authenticity of seal and signatures of the issuing authority of the beneficiary country;
  - (ii) thirty days of the date of receipt of the request, if the request is to seek a copy of the application made by the exporter or producer;
  - (iii) three months from the date of receipt of such request, if the request is on the grounds of suspicion of the accuracy of the information regarding the origin of the product;
- (e) when the customs authority in India is not satisfied with the results of the retroactive check pursuant to clauses (a) and (b), it may conduct verification in the beneficiary country by means of verification visit to the premises of the exporter or producer in the beneficiary country;
- (f) before conducting a verification visit referred to in clause (e), the customs authority in India shall deliver a written request regarding its intention to conduct the verification visit to the issuing authority of the beneficiary country where the verification visit is to occur;
- (g) the written request mentioned in clause (f) shall include the following, namely:—
  - (i) the name of the producer or exporter whose premises are to be visited;
  - (ii) the proposed dates of the verification visit;
  - (iii) the names and designations of the officials performing the verification visit;
- (h) the issuing authority referred to in clause (f) shall convey written consent for the visit within thirty days of receipt of the request mentioned in clause (f);
- (i) the verification visit shall be carried out within sixty days from the date of receipt of the written consent referred to in clause (h), or within such longer period as may be mutually agreed;
- (j) after conducting the verification visit, the importer and the concerned issuing authority shall be provided with a written determination of whether or not the subject product qualifies as an originating product.
- **21. Denial of preferential tariff treatment.—**(1) Except as otherwise provided in these rules, claim for preferential tariff treatment may be denied when,-
  - (a) the product does not meet the requirements of these rules;
  - (b) the exporter, producer or importer of the product fail to demonstrate compliance with the requirements under these rules;
  - (c) the exporter, producer or importer of the product deny access to the relevant records or documentation;
  - (d) the issuing authority of the beneficiary country fails to provide the information in pursuance to a written request for verification;
  - (e) the consent to a request for verification visit is not received from the issuing authority or the exporter or producer in the beneficiary country; and
  - (f) the information provided by the issuing authority or exporter or producer in the beneficiary country is not sufficient to prove that the product qualifies as an originating product of the beneficiary country.

(2) In cases where the certificate of origin is rejected by the customs authority in India, the original certificate of origin shall be returned to the issuing authority within a reasonable period but not exceeding two months from the date of such rejection:—

Provided that the grounds for denial of preferential tariff treatment shall be communicated to the importer and the issuing authority.

- **22. Record keeping requirements.**—The application for certificate of origin and all documents related to such application shall be retained by the issuing authority for not less than five years from the date of issuance of the said certificate.
- 23. Action against fraudulent acts.—When it is suspected that fraudulent acts in connection with the certificate of origin have been committed, the concerned issuing authority shall cooperate with the Indian authorities in respect of taking of penal action against the persons involved, in accordance with the law for the time being in force in India.
- **24. Suspension of preferential treatment.—**(1) The Government of India may suspend the tariff preference in respect of all or certain products originating in a beneficiary country qualified as per rule 4 or rule 5,-
  - (a) where there is sufficient evidence that the withdrawal is justified due to fraud, irregularities, or systematic failure to comply with any of the provisions of these rules; or
  - (b) where imports under these rules significantly exceed the usual levels of production and export capacity of a beneficiary country.
- (2) The exporting beneficiary country shall, within fifteen days of the suspension of preferential tariff benefits, be communicated the reasons for such suspension.
- (3) Upon receipt of the communication for suspension, the beneficiary country may request for consultations and the consultations may occur by means of e-mail communications, video conference or meetings and may also involve joint investigation, as may be mutually agreed.
- (4) Pursuant to a request received for consultation, the issue shall be resolved at the earliest in the form of.-
  - (a) restoration of preferential benefit to the product with retrospective effect; or
  - (b) restoration of preferential benefit to the product with prospective effect, subject to implementation of any mutually agreed measures by one or both parties; or
  - (c) denial of preferential benefits to the product.

[F. No. 21000/11/2013-Director (ICD)]

SATYAJIT MOHANTY, Director

# Annexure-A [See rules 11 and 12]

The authority in the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India is as follows:-

The Director (International Customs),

Central Board of Excise and Customs,

Department of Revenue,

Ministry of Finance, Government of India,

Room No. 49, North Block,

New Delhi 110001,

INDIA.

Telephone: +91 11 2309 3380 Fax +91 11 2309 3760

e-mail: diricd-cbec@nic.in

#### Annexure - B

#### [See rule 13]

- 1. Name and Address of the Exporter/Manufacturer:
- 2. Registration Number:
- 3. Country of origin:

All cost and price figures are to be shown in US dollars (\$)

4. Export Product-wise general information:

S.No.	Description of the	Model/Brand	HS code	FOB / ex-works value
	product			

5. Product –wise material cost information (to be furnished for each product listed in Para 4 above):

A	В	С	D	Е	F	G	Н
Sl. No.	Description of component, materials, inputs, parts or produce	Quantity and Unit	Unit Value	Total Value	HS Code (at six digit level)	name and	Country of Origin of the component, materials, inputs, parts or produce

In column H, the entry shall be made to indicate the Country of Origin in terms of the Customs Tariff (Determination of Origin of Products under the Duty Free Tariff Preference Scheme for Least Developed Countries) Rules, 2015 as one of the following:-

- (i) India;
- (ii) the beneficiary country of the issuing authority;
- (iii) non-originating materials used in production.

#### 6. Calculation

(i)	Value of	non-originating	materials	used in	production	as a	percentage	of F	OB/	ex-
	works val	ue:								

(ii) Value of originating materials as a percentage of FOB/ ex-works value:\_\_\_\_\_

#### **DECLARATION**

I declare that the information provided by me as above is true and correct.

I will permit, as and when required, inspection of our factory/products and undertake to maintain up to date costing records.

Signature, Name and Designation of the signatory

#### **FOR OFFICIAL USE**

The particulars given above have been checked, verified by the records maintained by the applicant and found to be correct. On the strength of this evidence, the applicant is eligible to claim that the products have originated from \_\_\_\_\_\_ as shown in serial number 3 above in terms of the provisions of Customs Tariff (Determination of Origin of Products under the Duty Free Tariff Preference Scheme for Least Developed Countries) Rules, 2015.

Place and Date:

Signature and Name of the Competent Authority with Official Seal

# Annexure - C [See rule 15(1)] CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Product consigned from (Exporters'	Reference No.
Business Name, Address, Country)	Duty Free Tariff Preference Scheme by India for Least Developed Countries
	(Combined declaration and certificate)
	Issued in
	(Country) (See notes overleaf)
2. Product consigned to	4. For Official use
(Consignee's Name, Address,	
Country)	
3. Means of transport and route (as far	
as known)	

5. HS Code	6. Marks	7. Number and	8. Origin	9. Gross	10. Number	
	and numbers of packages	kind of packages: description of products	criterion (see Notes overleaf)	weight or other quantity	and date of invoice	
11. Declaratio	n by the Expo	orter	12. Certificate	e:		
_	atements are	clares that the above correct; that all the	It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.			
(Country)						
_	specified for	those products in				
Duty Free Tariff Preference Scheme by India for Least Developed Countries						
(Importing Co	ountry)		and date			
			Signature, name and stamp			
Place and da authorised sig		d signature of the	of certifying authority			

#### **Overleaf Notes to Certificate of Origin**

#### Entries to be made in Box 8

- 1. Preference products must be wholly produced or obtained in the exporting beneficiary country in accordance with rule 4 of the Customs Tariff (Determination of Origin of Products under the Duty Free Tariff Preference Scheme for Least Developed Countries) Rules, 2015 or where not wholly produced or obtained in the exporting beneficiary country they must be eligible under rule 5 of the said rules.
- 2. For products wholly produced or obtained enter the letter 'A' in box 8.
- 3. For products not wholly produced or obtained:-
  - (i) enter the letter 'B' in box 8 for products, which meet the origin criteria according to rule 5 of the aforesaid rules. Entry of letter 'B' shall be followed by the percentage of local value added content, as calculated under clause (a) or clause (b) of sub-rule (2) of rule 5 of the said rules: [example B ( \_\_\_\_ ) per cent.];
  - (ii) enter letter 'C' in box 8 for products, which meet the origin criteria according to rule 5, read with rule 7 of the aforesaid rules. Entry of letter 'C' shall be followed by the percentage of local value added content, as calculated under clause (a) or clause (b) of sub-rule (2) of rule 5, read with rule 7 of the said rules: [example 'C' (Local: \_\_\_ per cent.; Indian: \_\_\_ per cent.; Total: \_\_\_ per cent.)].